Need to include agricultural activities under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- Laid

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत वर्तमान में 266 प्रकार के कार्य अनुमोदित हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को देखते हुए, प्राकृतिक खेती (Natural Farming) सहित अन्य कृषि कार्यों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए । नरेगा के तहत प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यों जैसे जैविक खाद निर्माण, वर्मीकंपोस्टिंग, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के पारंपरिक उपाय, खेलों में जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले अन्य कार्यों को अनुमोदित किया जाए । इससे न केवल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मजदूरों को जैविक कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे भविष्य में आत्मनिर्भर कृषि कार्यबल विकसित किया जा सके । इससे किसानों को श्रमशक्ति मिलेगी और श्रमिकों को लगातार रोजगार मिलेगा । साथ ही, मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की सीमा को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध हो और उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने की आवश्यकता न पड़े । इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि यह ग्रामीण श्रमिकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा । यदि मनरेगा को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाए, तो यह श्रमिकों को आधुनिक जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग देने में मददगार होगा ।